Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding amendment of para 3.28 of guidelines on MPLADS to include disbursement of electric tri- cycle to differently- abled persons- Laid.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये एमपीलेड्स दिशा निर्देशों के अन्तर्गत केवल तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित), मोटरयुक्त/बैटरी संचालित व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के लिये राशि दी जाती है । जबकि विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत विकलांगो को तिपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जा रही है । मैंने गत वर्ष एमपीलेड्स से 24 विकलांगजनों को नियमानुसार देय उक्त मोटरयुक्त ट्राईसाईकिल का वितरण करवाया था और पात्र विकलांगजनों ने मुझे उक्त ट्राईसाईकिल की गुणवत्ता के साथ-साथ क्षमता में भी कमी के कारण चढ़ाई एवं ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों में सुविधा की जगह तकलीफ देय होने के कारण उन्हें चलाने में आ रही कठिनाईयों के बारे में अवगत कराया । जब एमपीलेड्स के नियम बने थे तब इलेक्ट्रीक स्कूटी अस्तित्व में नही थी तत्समय मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल ही सबसे उपयुक्त साधन था, किन्तु समय बदलने के साथ-साथ तकनीक में भी परिवर्तन हुआ और बैट्रीचालित स्कूटी वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित और उपयोगी हो रही है । यह दिव्यांगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है इसलिये इलेक्ट्रीक वाहनों के उपयोग के बढते महत्व को दृष्टिगत रखते हुये तथा एमपीलेड्स नियमों में संशोधन कराते हुये विकलांगजनो को देय तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक तिपहिया स्कूटी मुहैया कराए जाने की जरूरत है । अतः केन्द्रीय ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज मंत्री महोदय से निवेदन है कि एमपीलेड्स दिशा-निर्देशो के पैरा संख्या 3.28 में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये स्वीकृत होने वाली तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित), मोटरयुक्त/बैटरी संचालित

व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के साथ-साथ उसमें इलेक्ट्रिक तिपहिया स्कूटी को भी सम्मिलित कर विकलांगजनो को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता कराकर उन्हे आवागमन का सुलभ साधन प्रदान करायें ।